मास्टर परिपत्र– 2008

क्र.सं	*CONTENTS*
पैरा सं	**विवरण**
1	जाली नोटों को जब्त करने के लिए प्राधिकारी
2	जाली नोटों की जब्ती और मुहर लगाना
3	निविदाकर्ता को रसीद जारी करना
4	Processing of Counterfeit Notes detected in cash tenders received by bank branch / Treasury – एफआईआर दर्ज करना
5	जाली नोटों की पहचान – कर्मचारियों को प्रशिक्षण
6	काउंटर पर नोटों को जारी करने से पहले, एटीएम में फीड करने और आरबीआई के निर्गम कार्यालयों से प्राप्त करने से पहले उसकी जांच
7	बैंक मुख्यालय में जाली नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना
8	परा-बैंगनी लैम्प और अन्य अवसंरचना का प्रबंध करना
9	डाटा रिपोर्टिंग - (I) बैंक शाखाएँ (II) बैंक के एफएनवीसी (III) सहकारी बैंक और आरआरबी
10	पुलिस प्राधिकारी द्वारा प्राप्त जाली नोटों का अनुरक्षण
Annex	अनुलग्नक I
	अनुलग्नक II
	अनुलग्नक III
	अनुलग्नक IV
	अनुलग्नक V
	अनुलग्नक VI
	अनुलग्नक VII

भारतीय रिजर्व बैंक
मुद्रा प्रबंध विभाग

मास्टर परिपत्र - 2008
जाली नोटों की पहचान और जब्ती

पैरा 1	**जाली नोटों को जब्त करने के लिए प्राधिकारी** जाली नोटों को जब्त कर सकते हैं - (i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाएँ (ii) निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की सभी शाखाएँ (iii) सहकारी बैंकों & क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाएँ (iv) सभी कोषागार और उपकोषागार (v) आरबीआई के सभी निर्गम कार्यालय
पैरा 2	**जाली नोटों की जब्ती और मुहर लगाना** प्रत्येक बैंकनोट, जिसे विभिन्न सुरक्षा विशेषताओं/मापदंडों की जांच करने पर जाली के रूप में निर्धारित किया जाता है, को "जाली बैंकनोट" की मुहर के साथ ब्रांड किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित लेख के साथ 5 सेमी x 5 सेमी के समान आकार के साथ एक मुहर का उपयोग किया जा सकता है। **जब्त जाली बैंकनोट** **बैंक / कोषागार/ उप-कोषागार** **शाखा** **हस्ताक्षर** **दिनांक** ऐसे प्रत्येक ज़ब्त नोट को सत्यापन के तहत एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
पैरा 3	**निविदाकर्ता को रसीद जारी करना** जब भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय या किसी बैंक शाखा या कोषागार के काउंटर पर दिया गया कोई बैंकनोट नकली पाया जाता है, तो अनुबंध । के अनुसार प्रारूप में एक पावती रसीद, उक्त पैरा 2 के अनुसार नोट पर मुहर लगाने के बाद, निविदाकर्ता को जारी की जानी चाहिए। रसीद, क्रम संख्या में, दो प्रतियों में होनी चाहिए और कैशियर के साथ-साथ निविदाकर्ता द्वारा भी प्रमाणित होनी चाहिए। इस आशय की सूचना जनता की जानकारी के लिए कार्यालयों/शाखाओं में प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए। प्राप्ति रसीद उन मामलों में भी जारी की जा सकती है जहां निविदाकर्ता रसीद पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है।
पैरा 4	**बैंक शाखाओं/ कोषागारों को नकद निविदा में प्राप्त जाली नोटों का प्रसंस्करण-एफआईआर दर्ज करना** बैंक शाखा/कोषागार काउंटर पर प्राप्त नकदी में पाए गए जाली नोट को उपरोक्त पैरा 2 में वर्णित तरीके से निविदाकर्ता की उपस्थिति में ज़ब्त किया जाएगा। इसे प्राथमिकी दर्ज करके जांच के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भेजा जाएगा (अनुबंध ॥)।

	प्राथमिकी की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय में गठित जाली नोट सतर्कता कक्ष को भेजी जाएगी (केवल बैंकों के मामले में) और कोषागार के मामले में इसे संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। . विवरण जैसे कि नाम, निविदाकर्ता का पता और उसका बयान कि उक्त नोट उसके कब्जे में कैसे आया, उसे भी पुलिस अधिकारियों को अग्रेषित किया जाएगा। नक़दों की संख्या और निविदाकार की प्रामाणिकता पर ध्यान दिए बिना नकली नोट का पता लगाने के प्रत्येक मामले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करना आवश्यक है। उन्हें अग्रेषित किए गए नोट के संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारियों की पावती प्राप्त की जानी चाहिए। यदि नकली नोट पुलिस को बीमित डाक द्वारा भेजे जाते हैं, तो पुलिस द्वारा उसकी प्राप्ति की पावती अनिवार्य रूप से प्राप्त की जानी चाहिए और रिकॉर्ड में रखी जानी चाहिए। पुलिस अधिकारियों से पावती की प्राप्ति का उचित अनुवर्ती आवश्यक है। प्राथमिकी स्वीकार करने में पुलिस की अनिच्छा के कारण कार्यालयों/शाखाओं को किसी कठिनाई का सामना करने की स्थिति में, मामले को संबंधित राज्य के नोडल अधिकारी के परामर्श से सुलझाया जा सकता है।. जाली बैंकनोट मामलों की जांच से संबंधित मामलों का समन्वय करने के लिए नामित केंद्रीय जांच ब्यूरो के नोडल अधिकारियों की एक सूची अनुबंध VII के रूप में संलग्न है। किसी भी स्थिति में, जाली नोटों को निविदाकर्ता को लौटाया नहीं जाना चाहिए या बैंक शाखाओं/कोषागारों द्वारा नष्ट नहीं किया जाना चाहिए ।. पुलिस/सरकारी एजेंसियों आदि से राय के लिए प्राप्त संदिग्ध विदेशी मुद्रा नोट के मामले में, प्रेषक को पूर्व परामर्श के बाद सीबीआई, नई दिल्ली के इंटरपोल विंग को अग्रेषित करने की सलाह दी जा सकती है। भारतीय दंड संहिता में 'जालसाजी' की परिभाषा में विदेशी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी मुद्रा नोट भी शामिल हैं। बैंक शाखाओं और कोषागारों में नकली भारतीय नोटों का पता लगाने के आंकड़ों को आरबीआई के निर्गम कार्यालयों को भेजे जाने वाले मासिक रिटर्न में शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि नीचे पैरा 9 में बताया गया है।.
पैरा 5	**जाली नोटों की पहचान-कर्मचारियों को प्रशिक्षण** यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बैंक शाखाओं/मुद्रा तिजोरियों, और कोषागारों/उप-कोषागारों में कैश हैंडलिंग स्टाफ बैंक नोट की सुरक्षा विशेषताओं से पूरी तरह परिचित है जाली नोटों का पता लगाने के बारे में शाखा के कर्मचारियों को शिक्षित करने की दृष्टि से, अनुबंध VI में दिखाए गए सभी बैंक नोटों की डिज़ाइन और सुरक्षा विशेषताओं को सभी बैंकों/कोषागारों को इस निर्देश के साथ आपूर्ति की गई है कि जनता की जानकारी के लिए उन्हें शाखाओं में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।.
पैरा 5	नियंत्रण कार्यालय/प्रशिक्षण केंद्र स्टाफ के सदस्यों के लिए बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित/आयोजित कर सकते हैं ताकि रसीद

	के समय ही नकली नोटों का पता लगाया जा सके। यदि आवश्यक हो, तो वे आरबीआई के निकटतम निर्गम कार्यालय से अधिकारियों की सहायता ले सकते हैं .
पैरा 6	**काउंटर पर नोटों को जारी करने से पहले, एटीएम में फीड करने और आरबीआई के निर्गम कार्यालयों से प्राप्त करने से पहले उसकी जांच** जाली नोटों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि शाखाओं में प्राप्त सभी नोटों की सावधानीपूर्वक जांच की जाए। करेंसी चेस्ट शाखाएं / अन्य बैंक शाखाएं, जो नोट सॉर्टिंग मशीनों (एनएसएम) से लैस हैं, को विशेष रूप से 100 रुपये और उससे अधिक मूल्यवर्ग में प्राप्त सभी नोटों को आवश्यक रूप से संसाधित करना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी मामले में, जनता को जारी नकदी या अन्य बैंक शाखाओं/आरबीआई कार्यालयों को भेजे गए प्रेषणों में, यहां तक कि अनजाने में भी, नकली नोटों को नहीं मिलाया जाता है।. एटीएम के माध्यम से जाली नोटों की प्राप्ति के संबंध में शिकायतों से बचने के लिए और नकली नोटों के प्रचलन को रोकने के लिए एटीएम में नोटों को लोड करने से पहले पर्याप्त सुरक्षा उपाय/जांच करना अनिवार्य है। भारत सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने यह विचार किया है कि एटीएम के माध्यम से नकली नोटों के वितरण को संबंधित बैंक द्वारा नकली नोटों को परिचालित करने के प्रयास के रूप में माना जाएगा।. तिजोरी विप्रेषणों में जालसाजी का पता लगाना भी जाली नोटों को प्रसारित करने में संबंधित तिजोरी शाखाओं की जानबूझकर भागीदारी के रूप में माना जा सकता है और पुलिस अधिकारियों द्वारा विशेष जांच की जा सकती है, और संबंधित तिजोरी के संचालन को निलंबित करने जैसी अन्य कार्रवाई की जा सकती है। आरबीआई संबंधित तिजोरी से गंदे नोटों को अंतिम रूप से हटाने की तारीख से तिजोरी विप्रेषणों में पाए गए जाली नोटों की राशि के लिए उच्च दंडात्मक ब्याज लगाने के विकल्प पर विचार कर सकता है।
पैरा 7	**बैंक मुख्यालय में जाली नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना** प्रत्येक बैंक अपने मुख्यालय में, निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए जाली(जब्त) नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना करेंगे: जाली नोट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को अपनी शाखाओं तक पहुंचाना। इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, जब्त नोटों के संबंध में डाटा संकलन और उक्त डाटा को भारतीय रिजर्व बैंक तथा एनसीआरबी को प्रस्तुत करना। जब्त नोटों के मामले को पुलिस प्राधिकरी / निर्धारित नोडल ऑफिसर से फॉलो अप करना। बैंक के सीवीओ के साथ इस प्रकार संकलित जानकारी साझा करना और काउंटरों पर नकली नोटों की स्वीकृति/जारी के सभी मामलों को उन्हें/उसे रिपोर्ट करना ।

	उन मुद्रा तिजोरियों में आवधिक औचक निरीक्षण करना जहां कमी/दोषपूर्ण/जाली नोट आदि पाए जाते हैं। सभी मुद्रा तिजोरियों में सक्षम क्षमता की नोट छँटाई मशीनों का संचालन सुनिश्चित करना और मुद्रा तिजोरी शाखाओं में जाली नोटों की पहचान की बारीकी से निगरानी करना। यह सुनिश्चित करना कि केवल ठीक से छांटे गए और जांचे गए बैंक नोट ही एटीएम में डाले जाएं और नोटों के प्रसंस्करण और पारगमन दोनों के दौरान औचक जांच सहित पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएं। । जाली नोट सतर्कता कक्ष उपर्युक्त पहलुओं को शामिल करते हुए मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंधन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, अमर भवन, चौथी मंजिल, सर पी. एम. रोड, फोर्ट, मुंबई **400001** को तिमाही आधार पर, एक पखवाड़े के भीतर समीक्षाधीन अवधि का निष्कर्ष पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जाली नोट सतर्कता कक्ष के पत्राचार के रिकॉर्ड को अद्यतन करने की दृष्टि से, बैंक निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध III) में ई-मेल द्वारा पता आदि विवरण हर साल 1 जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा।
पैरा 8	**अल्ट्रा-वायलेट लैम्प तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना** जाली नोटों की पहचान को सुगम बनाने की दृष्टि से, सभी बैंक शाखाओं/कोषागारों को अल्ट्रा-वायलेट लैम्पों से युक्त किया जाना चाहिए। सभी मुद्रा तिजोरी शाखाओं को उपयुक्त क्षमता के सत्यापन, प्रसंस्करण और छँटाई मशीनों (नोट सॉर्टिंग मशीन) से लैस किया जाना चाहिए और फिट और अनफिट नोटों को प्रभावी ढंग से अलग करने के लिए सॉफ्टवेयर पैरामीटर सेट करते हुए इष्टतम क्षमता तक उनका उपयोग किया जाना चाहिए। बैंकों को नोट सॉर्टिंग मशीनों के माध्यम से प्रोसेस किए गए नोटों का दैनिक रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें सामने आए जाली नोटों की संख्या भी शामिल है। बैंक अन्य शाखाओं को भी काउंटर पर सार्वजनिक उपयोग के लिए गंदे और संदिग्ध बैंक नोटों को थोक रसीदों से अलग करने के लिए सत्यापन, प्रसंस्करण और उचित क्षमता की छँटाई मशीनों के साथ-साथ कम से कम एक गिनती मशीन (दोहरी प्रदर्शन सुविधा के साथ) प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं।
पैरा 9	**। बैंक शाखाओं द्वारा डाटा की रिपोर्टिंग करना** बैंक की सभी शाखाओं द्वारा पकड़े गए जाली नोटों के डेटा को मासिक आधार पर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट किया जाएगा। अनुबंध IV के अनुसार एक विवरण - (पूर्व के प्रारूप में संशोधित, जिसमें उस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम शामिल है जहां शाखा संचालित होती है।) महीने के दौरान बैंक शाखाओं में पाए गए नकली नोटों का विवरण दिखाते हुए संकलित किया जाएगा और निम्नलिखित कार्यालयों को अग्रेषित किया जाएगा ताकि अगले महीने की 7 तारीख तक उन तक पहुंच सके: (i) आरबीआई के संबंधित निर्गम कार्यालय

	(ii) सहा. निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, पूर्वी ब्लॉक-7, आर.के. पुरम, **नई दिल्ली-110 066**
पैरा 9	यदि माह के दौरान कोई जाली नोट नहीं पाई गयी है, तो निल रिपोर्ट भेजी जा सकती है। **II बैंक के जाली नोट सतर्कता कक्ष द्वारा डाटा की रिपोर्टिंग करना** बैंक के मुख्यालय में गठित जाली नोट सतर्कता सेल (सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) बैंक द्वारा पकड़े गए जाली नोटों के डेटा को दर्शाते हुए एक मासिक रिटर्न, अनुलग्नक V के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में आने वाले महीने की समाप्ति से पहले ईमेल द्वारा मुद्रा प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय को निम्नलिखित पते पर अखिल भारतीय आधार पर प्रस्तुत करेगा, - dcmfnvd@rbi.org.in हार्ड कॉपी प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि माह के दौरान कोई जाली नोट नहीं पाई गयी है, तो "निल" रिपोर्ट भेजी जा सकती है। **III सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा डाटा की रिपोर्टिंग** सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं द्वारा पकड़े गए जाली नोटों के आंकड़े मासिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय को अनुलग्नक IV के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। अखिल भारतीय आधार पर डेटा को बैंक के प्रधान कार्यालय में अनुलग्नक V के अनुसार मासिक आधार पर संकलित किया जाना चाहिए और मांगे जाने पर ही भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।
पैरा 10	**पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त जाली नोटों का संरक्षण** पुलिस प्राधिकारियों से वापस प्राप्त सभी जाली नोटों को सावधानी से बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए और संबंधित शाखा द्वारा उनका रिकॉर्ड रखा जाए। बैंक का जाली नोट सतर्कता प्रकोष्ठ ऐसे जाली नोटों का शाखावार समेकित रिकॉर्ड भी । शाखाओं में इन नकली नोटों को संबंधित शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा अर्ध-वार्षिक आधार पर (31 मार्च और 30 सितंबर को) सत्यापन के अधीन होगा। इन नकली नोटों को पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उसके बाद जाली नोटों को पूरे विवरण के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय को भेजा जा सकता है। जाली नोट, जो न्यायालय में अधिनिर्णयन का विषय हैं, को संबंधित शाखा के पास स्थायी रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक I
(पैराग्राफ संख्या 3)

जाली नोटों के निविदाकर्ता को जारी की जाने वाली पावती रसीद

बैंक/कोषागार/उप कोषागार का नाम

बैंक/कोषागार/उप कोषागार का पता

रसीद की क्रम संख्या :
दिनांक:

नीचे वर्णित नोट ..... (निविदाकर्ता का नाम और पता) से प्राप्त हुए हैं जो जाली है/हैं और इसलिए इन्हें जब्त कर लिया गया है और तदनुसार मुहर लगा दी गई है।

मूल्यवर्ग के नोटों की क्रम संख्या

नोटों की कुल संख्या:

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर) (काउंटर खजांची के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक- II
(पैराग्राफ संख्या 4)

बैंक शाखा का नाम तथा पता

संदर्भ संख्या. दिनांक :

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक,
_____पुलिस थाना,
_____

प्रिय महोदय,

जाली नोट /नोटों का पता लगाना -जाँच हेतु अनुरोध

हम इसके साथ हमारे कार्यालय में दिनांक ..... को पकड़े गये निम्नलिखित जाली नोट संलग्न कर रहे हैं । जाली नोट /नोटों के विस्तृत ब्योरे नीचे प्रस्तुत है ।

2. चूँकि , भारतीय मुद्रा के जाली नोटों का मुद्रण और/या संचलन में लाना भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ए से 489 ई के तहत अपराध है, अत: आपसे अनुरोध है कि आप कृपया एफआईआर दर्ज कर आवश्यक जाँच करें । यदि न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई करनी हो तो अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 292(1) और 292(3) के अनुसार आप पहले इन नोटों को किसी भी नोट प्रेस , फोरेंसीक साईन्स लेबोरेटरी आदि के पास जाँच के लिए भेज देने हेतु व्यवस्था कर लें । प्रस्तुत विशेषज्ञ के राय को आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 292के तहत साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए ।जाँच और/या न्यायालय में कार्रवाई पूरी हो जाने पर जाँच की विस्तृत रिपोर्ट/न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि सहित जाली नोट हमारे पास भिजवा दिए जाए।

जाली नोट/नोटों का विवरण

		शृंखला	**पीसेस की संख्या**	**मूल्य**
क	मूल्यवर्ग			
ख	निविदाकर्ता का नाम व पता			
ग	हमारी प्रविष्टि संख्या			

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुलग्नक III
(पैराग्राफ 7)

जाली नोट सतर्कता कक्ष (एफएनवीसी) का आरबीआई को विवरण

(प्रत्येक वर्ष 01 जिलाई को ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

संदर्भ : आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 01 जुलाई 2008 का मास्टर परिपत्र

बैंक का नाम	एफएनवीसी का पता (पिनकोड सहित)	प्रभारी अधिकारी का नाम और पता	कोड सहित टेलीफोन संख्या	मोबाइल नंबर	एफएनवीसी का ई-मेल पता

उपरोक्त प्रस्तुत ब्योरे में किसी भी परिवर्तन, यदि कोई हो, को तत्काल सूचित करने के लिए हमने नोट कर लिया है ।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम					
पदनाम					
दिनांक					

नोट:: dcmfnvd@rbi.org.in पर पूर्ण भरे हुए प्रारूप को एम एस एक्सेल में केवल ई-मेल द्वारा ही प्रेषित किया जाएगा।

अनुलग्नक-IV
(पैराग्राफ 9)

बैंक शाखा का नाम व पता

माह _____ के दौरान शाखा में पाए गए जाली नोटों के ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण

मूल्यवर्गवार विवरण

मूल्यवर्ग						कुल पीसेस	कुल मूल्य	राज्य/यूटी का नाम जहां शाखा स्थित है
रु.10	रु.20	रु.50	रु.100	रु.500	रु.1000			

पुलिस के पास दर्ज मामलों का विवरण

	माह के आरंभ में पुलिस के पास लंबित	रिपोर्ट के तहत माह के दौरान पुलिस को भेजे गये	पुलिस द्वारा माह के दौरान लौटाये गये	माह के अंत में पुलिस के पास लंबित
	(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**
मामलों की संख्या				
पीसेस की संख्या				

नोट : प्रत्येक दर्ज एफ.आई.आर. एक मामला माना जाए । उपरोक्त प्रत्येक कॉलम में एफआईआर द्वारा कवर किए गए जाली नोटों की कुल संख्या दर्शाई जाए।

को प्रेषित –

1. महाप्रबंधक/उप-महाप्रबंधक , भारतीय रिजर्व बैंक, निर्गम विभाग, _____ (क्षेत्रीय कार्यालय का नाम)।
2. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ईस्ट ब्लॉक-VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली 110 066

(हस्ताक्षर)

प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा पदनाम

अनुलग्नक V
(पैराग्राफ 9)
ई-मेल द्वारा

बैंकों द्वारा पाए गए जाली नोट							
(अखिल भारतीय आधार पर समेकित आंकड़े)							
_____ माह की रिपोर्ट							
बैंक का नाम				_____			
जाली नोट सतर्कता कक्ष का पता				_____			
				_____			
				_____			
				_____			
ई-मेल				_____			
भाग-1; बैंक द्वारा पाए गए जाली नोटों का राज्य/संघ क्षेत्र वार सारांश							
राज्य/संघ क्षेत्र*	**मूल्यवर्ग वार नोटों की संख्या**						**कुल पीसेस**
	रु.10	**रु.20**	**रु.50**	**रु.100**	**रु.500**	**रु.1000**	
1							
2							
3							
कुल योग							
*** संघ क्षेत्र का नाम दर्शाएँ**							
भाग-2: एफआईआर के मामलों का विवरण							
	माह के आरंभ में पुलिस के पास लंबित	माह के दौरान पुलिस को भेजे गए	पुलिस द्वारा लौटाए गए	माह के अंत में पुलिस के पास लंबित **(क) + (ख) - (ग)**			
	(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**			
मामलों की संख्या							

नोटों की संख्या							
नोट : प्रत्येक दर्ज एफ.आई.आर. एक मामला माना जाए । प्रत्येक कॉलम में एफआईआर द्वारा कवर किए गए जाली नोटों की कुल संख्या दर्शाई जाए ।							
प्रमाणित किया जाता है कि (i) उपरोक्त भाग-1 में दर्शाए गए सभी नोटों के संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और (ii) संबंधित डेटा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय को सूचित कर दिया गया है।							
एफएनवी कक्ष के प्रमुख का नाम				_____			
पदनाम				_____			
दिनांक				_____			
15 फरवरी 2008 के पत्र डीसीएम (एफएनवीडी) संख्या 5996/16.12.01/2007-08 के संदर्भ में मुद्रा प्रबंध विभाग, (एफएनवी प्रभाग), भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई को अग्रेषित							
एनबी: रिपोर्ट को एमएस एक्सेल में तैयार किया जाए और dcmfnvd@rbi.org.in **पर ई-मेल द्वारा प्रेषित किया जाए**							

अनुलग्नक - VI

(पैराग्राफ 5)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1967 से जारी किए गए नोटों के डिजाइन

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्र भाग	पश्च भाग
I. 10 रुपये के नोट				
1967	137 x 63 मिमी.	अशोक स्तम्भ	हल्का जामुनी रंग। केंद्र में 10 का अंक।	नोट का मूल्य 14 भारतीय भाषाओं में। वर्तुल में सागर का दृश्य तथा पालदार नौका ।
1968	उक्त	उक्त	गहरा नीला रंग। वचन-खण्ड, गारण्टी- खण्ड और हस्ताक्षर को द्विभाषी रूप में मुद्रित किया गया ।	ऊपर लिखी खासियत के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक का नाम हिन्दी में भी मुद्रित किया गया।
1969	उक्त	उक्त	गहरा नीला रंग. 'RUPEES TEN' के स्थान पर 'TEN RUPEES'—	महात्मा गांधी का चित्र
1970	उक्त	अशोक स्तम्भ के साथ चक्र	भारतीय रिज़र्व बैंक ऊपर लिखा गया और RESERVE BANK OF INDIA को नीचे मुद्रित किया गया। हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षरों का स्थान बदला गया। सत्यमेव जयते का मुद्रण किया गया। वाटर मार्क-विंडो और नम्बर पैनल को बड़ा किया गया।	मोहर द्विभाषी रुप में डाली गयी ।
1975	उक्त	उक्त	गहरा भूरा, गहरा पीला, नीला रंग। '10' का अंक गहरे कत्थई रंग में। उभरा हुआ मुद्रण। भाषाओं का पैनल बांई तरफ तथा अशोक स्तम्भ दांई तरफ।	हल्का कत्थई, चमकीला नीला और हरा रंग। एक घेरे में पेड़ की शाखा पर बैठे दो मोर। हिरण, घोड़े, पक्षी और कमल।
1992	उक्त	उक्त	समूची रंग योजना हल्का गुलाबी, मेजेन्टा और पीलापन लिए हुए।	शालीमार बाग।
1996	उक्त	वाटरमार्क विंडों में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु-आयामी रेखाएँ।	समूची रंग-योजना में बैंगनी भूरा, संतरी और गुलाबीपन। महात्मा गाँधी का चित्र। छिपा हुआ सुरक्षा धागा, जिसे रोशनी के सामने करके देखने पर दोनों तरफ से 'भारत RBI' शब्द पढ़े जा सकते हैं।	एक दूसरे में गुंथी हुई फुलकारी, जिसमें हाथी, गैंडा और बाघ के मुँह दिखाए गए हैं। नोट का मूल्य 15 भारतीय भाषाओं में दिया गया है।

2006	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 10 अंक दिखाने वाला इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता हैं।	विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर **'भारत'** (हिंदी में) और **'RBI'** लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी (जेनरिक) में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 1.4 मि.मी.। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।
II. 20रुपये के नोट				
1972	147x63 मिमी.	अशोक स्तम्भ	केसरिया रंग। अशोक स्तम्भ दांई तरफ और भाषाओं का पैनल बाएँ तरफ ।	समांतर पैनल के मध्य में बड़े अक्षरों में हिन्दी में बीस रुपये और दोनों कोनों में 20 का अंक। संसद भवन का चित्र। बाएं तरफ नोट का मूल्य भारतीय भाषाओ में।
1975	उक्त	छोटा अशोक स्तम्भ जिसके चारों ओर चक्र की श्रृंखला। कागज पर सरेश लगा हुआ।	लाल, नीला, बैंगनी और हल्का पीला रंग। हल्के पीले रंग की कमल जैसी आकृति के ऊपर गहरे बैंगनी रंग में 20 का अंक ।भाषाओं का पैनल बायें तरफ और अशोक स्तम्भ दाएं तरफ। नोट का मुद्रण कागज के एकदम किनारे तक किया गया है, लेकिन चारों कोनों को सफेद ही छोड़ दिया गया है । नाम, वाक्य-खंड और हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में।	ड्राई ऑफसेट प्रिंटिंग। लाल, नीला और बैंगनी रंग। बीचों-बीच कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ का पहिया। पीलापन लिए हुए नीले रंग में वाटरमार्क विन्डो। इस विन्डो के चारों ओर जो सजावटी डिजाइन बना है वह नोट की दूसरी ओर बने डिजाइन पर एकदम सही बैठता है।

2001	उक्त	महात्मा गांधी का चित्र	सुरक्षा धागा पूरी तरह से गुंथा हुआ जिस पर 'भारत' और 'RBI' लिखा हुआ है। नोट का रंग मुख्यतया लाली लिए हुए संतरी। अशोक स्तम्भ के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र गहरे लाल रंग में है। अशोक स्तंभ को नोट के बाएँ ओर निचले कोने में छोटे आकार में मुद्रित किया गया है। संख्या 20, रिज़र्व बैंक की मुहर, महात्मा गांधी का चित्र, रिज़र्व बैंक का प्रतीक, गारंटी और वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षर तथा अशोक स्तम्भ को उभरा हुआ मुद्रित किया गया है। RBI शब्द और अंक 20 को सूक्ष्म अक्षरों में महात्मा गांधी के चित्र के पीछे वैकल्पिक रुप से मुद्रित है। एक पहचान चिह्न के रूप में नोट के बाएँ ओर छोटी खडी आयताकृति उभरे हुए रूप में मुद्रित गई है, ताकि कमजोर नज़र वाले भी नोट का मूल्यवर्ग आसानी से पहचान सकें। संख्या पटल में अंकों को लाल रंग में मुद्रित किया गया है।	नोट की मूल संकल्पना में नारियल वृक्षावली से घिरा भारतीय समुद्रतट दिखाई देता है। बायीं ओर भाषाई पैनल में नोट का मूल्य पन्द्रह भाषाओं में दिया गया है।
2006	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 20 अंक दिखाने वाला इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता हैं।	विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर **'भारत'** (हिंदी में) और **'RBI'** लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी (जेनरिक) में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 1.4 मि.मी.। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।

			इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।	
III. 50 रुपये के नोट				
1975	147 x 73 मिमी	अशोक स्तम्भ जिसके चारों ओर चक्र हैं.	बैंगनी रंग जिसमें नीले, हरे और हल्के जामुनी रंग की आभा है। 50 का अंक गहरे भूरे रंग में। भाषा-पैनल बांई ओर और दांई ओर अशोक स्तम्भ। चारों कोनों को सफेद छोड़ते हुए, कागज के किनारे तक मुद्रण किया गया है।	बैंगनी, भूरा और पीला रंग। बीच में संसद भवन। वाटरमार्क विन्डो हल्के बैंगनी रंग में, जिसके चारों ओर का सजावटी डिजाइन दूसरी ओर बने डिजाइन पर एकदम सही बैठता है।
1981	उक्त	उक्त	उभरा हुआ मुद्रण- गहरा नीला, पीला और लाल। अशोक स्तम्भ और भाषाएं गहरे बैंगनी रंग में तथा बाकी का नोट गहरे हरे और भूरे रंग में। अशोक स्तम्भ के नीचे सत्यमेव जयते।	ड्राई-ऑफसेट पीलापन लिए हुए भूरा तथा समूचा नोट गहरे जामुनी रंग में। संसद भवन पर झण्डा दिखाया गया है।
1997	उक्त	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गांधी का चित्र तथा बहु-आयामी रेखाएँ	पीला, नीला और बैंगनी रंग। अशोक स्तम्भ के स्थान पर नीले रंग में महात्मा गाँधी का चित्र। सुरक्षा धागा नोट के भीतर पूर्णत: छिपा हुआ जिस पर 'भारत RBI' शब्द लिखे हुए हैं। वाटरमार्क के बाँए तरफ छोटी ठोस काली वर्गाकार आकृति, जो कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है।	भारतीय संसद का समग्र दृश्य जिसके ऊपर फुलकारी बनाई गई है और किनारे की तरफ बारीक नक्काशी की गई है। नोट का मूल्य 15 भारतीय भाषाओं में दिया गया है।
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 50 अंक दिखाने वाला इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता हैं।	विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर **'भारत'** (हिंदी में) और **'RBI'** लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 1.4 मि.मी.। हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की मुहर, गारंटी और वचन खण्ड, बाईं	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।

			ओर अशोक स्तंभ, तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर इंटैग्लिओट प्रिंटिंग में, अर्थात् मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है । वाटरमार्क विंडो के बाईं ओर इंटैग्लिओट की गहरायी बढ़ाकर अर्थात् अधिक उभारदार एक वर्गाकार आकृति मुद्रित की गई है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है । चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।	
IV. 100 रुपये के नोट				
1967	157x 73 मिमी.	अशोक स्तम्भ	नीला रंग । बीच में बड़े आकार में 100 का अंक। दाईं ओर अशोक स्तम्भ की प्रतिमा।	बायीं ओर खडे भाषाओं के पैनल में 14 भारतीय भाषाएँ । वृत्ताकार चौखट की पृष्ठभूमि में हीराकुंड बाँध का चित्र।
1969	उक्त	उक्त	नीला रंग और वचनखण्ड, गारण्टी-खण्ड और गवर्नर के हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में।	वृत्ताकार चौखट की पृष्ठभूमि में सेवाग्राम आश्रम और उसमें बैठे महात्मा गाँधी का चित्र।
1975	उक्त	अशोक स्तम्भ के साथ में चक्र	उभरा हुआ मुद्रण। गहरा नीला साथ में नीले, भूरे, गुलाबी और गहरे हरे रंग की आभा। 100 का अंक गहरे नीले रंग में। वाटरमार्क विन्डो का रंग हल्का नीला। रिज़र्व बैंक का नाम, वचनखण्ड, गारण्टी-खण्ड और गवर्नर के हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में। भाषाओं का पैनल बांई ओर	उभरा हुआ मुद्रण। अनाज की गहरी नीली और भूरी छाया, कृषि कार्य, चाय के बागान, जल विद्युत परियोजना। वाटरमार्क विन्डो के चारों ओर बनी सजावटी आकृति दूसरी ओर बने डिजाइन में पूरी तरह से समा जाती है।

			तथा दांईं ओर अशोक स्तम्भ। चारों कोनों को सफेद छोड़ते हुए, कागज के किनारे तक मुद्रण किया गया है।	
1979	उक्त	उक्त	एक ओर उभरा हुआ मुद्रण. नीला, लाल और गहरा हरा रंग। लाली और पीलापन लिए हुए हरे रंग की छाया। अशोक स्तम्भ के नीचे सत्यमेव जयते।	ड्राइ-ऑफसेट। काला और मरून रंग। हरापन लिए हुए नीले और भूरेपन की छाया।
1996	उक्त	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु- दिशीय रेखाएं	मुद्रण में उभारदार और ऑफसेट दोनों विधियों का प्रयोग किया गया है। समग्र रंग योजना में नीले, भूरे और हरे रंग की गहनता। महात्मा गाँधी का चित्र। विंडों में सुरक्षा धागा सामने की ओर से थोड़ा छिपा और थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से गुंथा हुआ है। इसपर "भारत" और "RBI" शब्द मुद्रित हैं। वाटरमार्क विन्डो के बाँई ओर काली ठोस तिकोनी आकृति उभरकर बनी हुई है जो कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में मदद करती है।	मुख्य रुप से कंचनजंगा पर्वत शिखर का समूचा दृश्य चित्रित किया है जिसके चारों ओर फुलकारी और जरदोशी के डिजाइन बने हैं। बायीं ओर भाषाओं के पैनल में 15 भाषाओं में नोट का मूल्य लिखा हुआ है।
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - दिशीय रेखाएं और मूल्यवर्गीय 100 अंक दिखानेवालाइलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता हैं।	100 रुपये के नोट में विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर **'भारत'** (हिंदी में) और **'RBI'** लिखा है जो विशेष प्रकार से रंग बदलता है। अलग-अलग कोणों से देखने पर सुरक्षा धागा हरे से बदलकर नीला हो जाता है । अल्ट्रावायलेट रोशनी में नोट का पृष्ठभाग पीले रंग का चमकीला और मुखपृष्ठ पर अंकित पाठ चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 2 मि.मी.। इंटैग्लिओ प्रिंटिंग अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की सील, गारंटी और	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।

			वचन खण्ड, बाईं ओर अशोक स्तंभ का प्रतिक तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है । वाटरमार्क विंडो के बाईं ओर इंटैग्लिओट की गहरायी बढ़ाकर अर्थात् अधिक उभारदार एक त्रिकोण आकृति मुद्रित की गई है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।	
V. 500 रुपये के नोट				
1987	167X73मिमी	अशोक स्तम्भ जिसके सभी ओर चक्र हैं ।	ड्राई-ऑफसेट और उभारदार मुद्रण । पृष्ठभूमि के रंगों में मोरपंखी नीला, चटकीला नीला और हरा । महात्मा गांधी का चित्र, अशोक स्तम्भ, वचन खंड और भाषा पैनल उभरे हुए मुद्रित हैं । दृष्टिबाधितों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में सुविधा के लिए, वाटरमार्क के बाईं ओर पाँच काली समानान्तर सहायता रेखाएँ उभरी हुई मुद्रित हैं ।	पृष्ठभूमि में उगता हुआ सूरज। पृष्ठभूमि का रंग गहरा हरा, संतरी और आसमानी । महात्मा गांधी लोगों के समूह का नेतृत्व करते हुए ।
1997	-उक्त-	वाटरमार्क विंडो में महात्मा गांधी का चित्र और बहु-दिशीय रेखाएँ	ड्राई-ऑफसेट और उभारदार मुद्रण । पृष्ठभूमि के रंगों में ज़्यादातर पीला, हरा बैंगनी और भूरा । महात्मा गांधी का चित्र, रिजर्व बैंक का नाम, गारंटी और वचन खंड, अशोक स्तम्भ इनसेट और गवर्नर के हस्ताक्षर उभरे हुए मुद्रित हैं । विंडो में सुरक्षा धागा	महात्मा गांधी लोगों के समूह का नेतृत्व करते हुए, भूरे रंग में ऊपर की ओर फुलकारी तथा चारों ओर जरदोज़ी का डिज़ाइन । बाईं ओर 15 भाषाओं का खड़ा भाषा पैनल है । उक्त

			सामने की ओर से थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है लेकिन अंदर से पूरी तरह गुंथा हुआ है । इस धागे पर "भारत", "RBI" मुद्रित है । महात्मा गांधी के चित्र के पीछे की हरी खड़ी पट्टी पर 500 की अप्रकट छवि है । दृष्टिबाधितों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में सुविधा के लिए वाटरमार्क के बाईं तरफ एक छोटी सी ठोस गोलाकृति उभरी हुई है ।	सभी विशेषताएँ उभरी हुई रूप में मुद्रित हैं ।
2000	-उक्त-	-उक्त-	रंगों में मुख्य रूप से हल्का पीला, बैंगनी और भूरा, महात्मा गांधी का चित्र हल्के भूरे रंग में । 500 का अंक रंग बदलने वाली स्याही (ओप्टिक्ली वेरिएबली इंक – ओवीआई) से मुद्रित किया गया है जो हरे से नीले रंग में बदलता है । इसके अतिरिक्त शेष डिज़ाइन 1997 की तरह ही हैं ।	इसका डिज़ाइन 1997 की शृंखला वाले नोट के डिज़ाइन की तरह ही है ।
2005	-उक्त-	इस भाग में महात्मा गांधी का चित्र, बहु-दिशीय रेखाएँ और मूल्यवर्गीय अंक 500 दिखाने वाला इलैक्ट्रोटाइप वारतामार्क है, जिन्हें बैंक नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता है ।	500 रुपये के नोट में विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटेलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुम्बकीय सुरक्षा धागा, जिस पर "भारत" (हिन्दी में) और "RBI" लिखा है जो विशेष प्रकार से रंग बदलता है । अलग अलग कोणों से देखने पर सुरक्षा धागा हरे से बदलकर नीला हो जाता है । अल्ट्रावायलेट रोशनी में नोट का पृष्ठभाग पीले रंग का चमकीला और मुखपृष्ठ पर अंकित पाठ चमकीला दिखाई पड़ता है । चौड़ाई – 3 मिमी । इंटेग्लियो प्रिंटिंग अर्थात हिन्दी और अँग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की सील, गारंटी और वचन खंड, बाईं ओर अशोक स्तम्भ का प्रतीक तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है । वाटरमार्क विंडो के बाईं ओर इंटेग्लियो की गहराई	बैंक नोट के मुद्रण के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष दाल दिया गया है ।

			बढ़ाकर अर्थात अधिक उभारदार एक गोलाकृति मुद्रित की गई है जो दृष्टिबाधितों को नोट का मूल्यवर्ग जानने मेंमदद करती है । चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोंबीच बैंक नोट के मुख पृष्ठ (खाली) और पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक आर पार मिलान के रूप में एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार से बैठ जाती है कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखाई देते हैं।	
VI. 1000 रुपये के नोट				
2000	177X73मिमी	वाटरमार्क विंडो में महात्मा गांधी का चित्र और बहु-आयामी रेखाएँ	सामान्य रूप से रंग गुलाबी है (हल्का पीलापन लिए हुए गुलाबी और पृष्ठभूमि में स्लेटी ऑफसेट) । महात्मा गांधी का चित्र भूरे रंग का है । महात्मा गांधी का चित्र, अंक 1000, एक हजार रुपये, रिजर्व बैंक की मोहर, रिजर्व बैंक का नाम, गारंटी और वचन खंड, गवर्नर के हस्ताक्षर उभरे हुए मुद्रित हैं । बाईं ओर का संख्या पैनल लाल रंग में और दायीं ओर का संख्या पैनल नीले रंग में है । 1000 का अंक रंग बदलने वाली स्याही (ओप्टिक्ली वेरिएबली इंक – ओवीआई) से मुद्रित किया गया है जो हरे से नीले रंग में बदलता है । ऑप्टिकल वेरिएबल (रंग बदलने वाली स्याही) विंडो वाले सुरक्षा धागे में चुम्बकीय गुण हैं और उस प्पर "भारत" "1000" और RBI मुद्रित है । वाटरमार्क विंडो के बाईं ओर छोटे काले रंग का ठोस एक उभरे हुए हीरे का आकार मुद्रित है ताकि	समूची विचारधारा में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को तीन रंगों में उभारदार मुद्रण के माध्यम से प्रकट किया है । भाषाओं के पैनल में बाईं ओर नोट का मूल्य 15 भाषाओं में लिखा हुआ है ।

			दृष्टिबाधितों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में आसानी हो ।	
2005	- उक्त -	इस भाग में महात्मा गांधी का चित्र, बहु-आयामी रेखाएँ और मूल्यवर्गीय अंक 1000 दिखाने वाला इलैक्ट्रोटाइप वाटरमार्क है, इनको बैंक नोटों को रोशनी के सामने करके देखने पर अच्छी तरह से देखा जा सकता है ।	1000 रुपये के नोट में, विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटेलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुम्बकीय सुरक्षा धागा है जिस पर "भारत" (हिन्दी में) और "RBI" लिखा है जो विशेष प्रकार से रंग बदलता है । अलग अलग कोणों से देखने पर सुरक्षा धागा हरे से बदलकर नीला हो जाता है । अल्ट्रावायलेट रोशनी चौड़ाई – 3 मिमी में नोट का पृष्ठ भाग पीले रंग का चमकीला और मुखपृष्ठ पर अंकित पाठ चमकीला दिखाई पड़ता है । इंटेग्लियो प्रिंटिंग अर्थात हिन्दी और अँग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की सील, गारती और वचन खंड, बाईं ओर अशोक स्तम्भ का प्रतीक तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है । वाटरमार्क विंडो के बाईं ओर इंटेग्लियो की गहराई बढ़ाकर अर्थात उसे अधिक उभारदार एक हीरे के आकार में मुद्रित किया गया है दृष्टिबाधितों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में मदद करता है । चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच बैंक नोट के मुख पृष्ठ (खाली) और पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक आर पार मिलान के रूप में एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार से बैठ जाती है कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखाई देते हैं।	बैंक नोट के मुद्रण के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।

अनुलग्नक VII
(पैराग्राफ 4)

एफ आई सी एन के मामलो की निगरानी के लिए नियुक्त अधिकारी

क्रम संख्या	राज्य	नोडल अधिकारी (एफआईसीएन)	टेलीफोन नं.
1	असम	श्री डी. के. बोरा, आईपीएस, आईजीपी, सीआईडी, असम, गुवाहाटी	
2	आन्ध्रप्रदेश	श्री संदीप शांडिल्य, आईपीएस, डीआईजी, सीआईडी, आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद	
3	अंडमान & निकोबार	श्री वीपी पाण्डेय, उप. एसपी, सीआईडी, एबरडीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान जिला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 0 744 101	03192-233307 (0) 03192-200746(WLL) 03192-233307(Fax)
4	अरुणाचल प्रदेश	श्री एन. पायेंग, आईपीएस, डीआईजी/पीएचक्यू, ईटानगर	0360 – 2212734
5	बिहार	श्री बी.एस. जयंत, आईजी, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, बिहार, पटना	0612 – 2217829
6	चंडीगढ़	श्री प्रबोध कुमार, आईजीपी/क्राइम, ईओडब्ल्यू	2740179 (O)
7	छत्तीसगढ़	श्री राज कुमार देवांगन, आईपीएस, एआईजीपी, एससीआरबी	0771 – 4240045
8	दमण & दीव		
9	दादर नागर हवेली, सिलवासा	श्री वी.आर. जेठवा, पुलिस अधीक्षक, सिलवासा	0262 – 2642002
10	दिल्ली		
11	गोवा	श्री चंद्रकांत एस सलगांवकर, पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, दोनापौला, गोवा	2456688 09422387199
12	गुजरात	श्री अनिल प्रथम, आईपीएस, डीआईजी (क्राइम-3), ओ/ओ अपर. डीजीपी, सीआईडी (अपराध और रेलवे), गुजरात राज्य, पुलिस भवन, 5वीं मंजिल, सेक्टर-18, गांधी नगर, गुजरात	079-23254385, 23254387 (O) 079-23257545 (F) cor.crime@gujarat.gov.in
13	हिमाचल प्रदेश	श्री ओ.सी. ठाकुर, आईपीएस, आईजीपी, सीआईडी, हिमाचल प्रदेश, शिमला	0177 – 2622205 0177 – 2623224 (Fax)
14	हरियाणा	श्री एस.एस देसवाल, आईपीएस, आईजीपी, क्राइम पुलिस मुख्यालय, सेक्टर-6, पंचकुला, हरियाणा	0172-2565595 (O)

15	जे & के	श्री दिलबाग सिंह, आईजीपी, आईजीपी, अपराध और रेलवे, जम्मू-कश्मीर, जम्मू, श्रीनगर	0191 – 2572475 (O) 0191 - 2574210 (O) 0194 - 2473803
16	झारखंड	श्री आर.सी. कैथल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, झारखंड, रांची	0651 – 2490546 (O) 0651 - 2490377 (Fax) 094311 14106 (M)
17	कर्नाटक	श्री एम. आर. पुजार, आईपीएस, आईजीपी, ईओ/सीओडी, मुख्यालय, कार्लटन रोड, पैलेस रोड, बैंगलोर - 560 001	080-22254871, 22942241
18	केरल	श्री वर्गीज, उप पुलिस अधीक्षक, सीएफएस	2443446 (O)
19	लक्षद्वीप	श्री गिरीश चंद्र द्विवेदी, एसपी	04896 – 262258 262624 (F)
20	मध्यप्रदेश	श्री आरपी सिंह, डीआईजी, पीएचक्यू, ईओडब्ल्यू जहांगीराबाद, एमपी	0755 – 2443569
21	महाराष्ट्र	श्री के.पी. रघुवंशी, अपर पुलिस महानिदेशक, एमएस, रेलवे, संयुक्त सीपी, एटीएस, एमएस, मुंबई का प्रभार	022 – 23087336 022 - 23012471
22	मणिपुर	श्री एल.एम. खौटे, आई.पी.एस, आईपी (अंतर्राष्ट्रीय), मणिपुर, इंफाल	Tel No.0385 – 2450575 Fax No.0385 – 2450575 e-mail igp.int@hub.nic.in igpint@hotmail.com
23	मेघालय	श्री एस किंजिंग, एआईजी (प्रशासन) शिलांग	2226790 (O) 2220839 (F)
24	मिजोरम	श्री के. अलोना, एसपी, सीआईडी (क्राइम) आइजोल	2334082 2334082 (Fax)
25	नागालैंड	श्री एल.एल. डोंगल, डीआईजी, आधुनिकीकरण	2241369 (O) 2244274 (F)
26	उड़ीसा	श्री बी.के. शर्मा, आईपीएस, आईजीपी, सीआईडी, सीबी, उड़ीसा, कटक	0671 – 2304834
27	पांडिचेरी	श्री आर. मुगम, एसपी, सीआईडी, मुख्यालय	0413-2338684 (O) 9443209104
28	पंजाब	श्री गुरदयाल सिंह, पीपीएस, एसपी, ईओडब्ल्यू, पंजाब	
29	राजस्थान	श्री ए. पोन्नुचामी, आईपीएस, डीआईजी (ईओडब्ल्यू), सीआईडी, (सीबी), राजस्थान, जयपुर	0141 – 2751952 0141 – 2753326 (Fax)
30	सिक्किम	श्री डी.बी. थापा, पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, पुलिस मुख्यालय, गंगटोक, सिक्किम	03592 – 204297 (Fax) 03592 – 202087 (O)

31	तमिलनाडु	अधीक्षक पुलिस, सीबी, सीआईडी (मुख्यालय), चेन्नई	
32	त्रिपुरा	श्री राकेश रंजन, आईजीपी, इंटेलिजेंस	2323207 (O) 2324970 (F)
33	उत्तरप्रदेश	श्री देवी प्रसाद श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू, 5वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ	0522 – 2287090 2287256
34	उत्तरांचल	एस. जीवन चंद्र पाण्डेय, डीआईजी, सीआईडी	0135 – 2712685 (O) 0135 – 2712080 (F)
35	पश्चिम बंगाल	श्री भूपिंदर सिंह, एडीजीपी, सीआईडी, कोलकाता	033 – 24791330 (O)